

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
(महिला संरक्षण प्रकोष्ठ)
जे-7, झालाना, सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
क्र.सं. प.16(1)(44)/निमअ/मसंप्र/MSSK/योजना/2010/पार्ट-1/21992 जयपुर, दिनांक 05/10/16

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना
(संशोधित)-2016

प्रस्तावना

यह सर्वविदित है कि सामाजिक और आर्थिक परिवेश में महिलाएँ सदा से उत्पीड़न की शिकार रही हैं। यद्यपि देश की आजादी के पश्चात् महिलाओं में शिक्षा का प्रसार बढ़ा है और उन्हें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं, जो उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण में सहायक हो सकते हैं। परंतु यथार्थ स्थिति यह है कि इस सब के बावजूद महिलाओं को कदम-कदम पर सामाजिक दबाव सहना पड़ता है और भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है।

महिलाओं को इस त्रासदी से बचाने के लिए विभिन्न कानूनों में प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं को घरेलू हिंसा से व्यथित होने की स्थिति में सुरक्षा और प्रतिकर आदि हेतु घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 लागू किया गया है। उससे पूर्व भी दहेज प्रतिषेध अधिनियम, पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा कारित अत्याचार के प्रसंग में 498-ए आईपीसी, बाल विवाह निषेध अधिनियम आदि कानूनी प्रक्रिया स्थापित की गई है।

महिलाओं को सुलभ न्याय दिलाए जाने के उद्देश्य से पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की गई तथा सामाजिक और शासकीय स्तर पर सलाह और मार्गदर्शन कार्यक्रम चलाए गए। इसी कड़ी में वर्ष 2010-11 से गैर-शासकीय संस्थानों के माध्यम से राज्य के सभी पुलिस जिलों में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र स्थापित किए जाने के संदर्भ में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना, 2010 लागू की गई। राज्य के 40 पुलिस जिलों में महिला थाना/चयनित थाना के साथ महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों के संचालन हेतु चयनित गैर-शासकीय संस्थाओं को अधिकृत किया गया है। योजना लागू होने के पश्चात् योजना को और अधिक प्रभावशाली रूप से संचालित करने के लिये महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना में समय-समय पर संशोधन किये गये। योजना के संबंध में समय-समय पर प्राप्त सुझावों के आधार पर योजना के सुचारु संचालन हेतु राज्य में संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों के नियमन, संचालन एवं अनुदान हेतु एतद्वारा निम्न प्रकार से संशोधित योजना, 2016 लागू की जाती है:-

1 नाम

इस योजना का नाम 'महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना (संशोधित), 2016' होगा।

2 केन्द्र
संचालन

यह केन्द्र गैर-शासकीय संस्थानों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे।

3

योजना का ध्येय

सामाजिक एवं पारिवारिक स्तर पर किसी भी रूप में हिंसा से व्यथित/उत्पीडित महिला की तुरंत सहायता/मार्गदर्शन एवं उसके संविधानिक अधिकारों का संरक्षण

4 लागू होने की तिथि

तुरंत प्रभाव से

5 उद्देश्य एवं दायित्व

- (1) संबंधित पुलिस थाने पर आने वाली महिला की शिकायत पर महिला से बातचीत, उसकी व्यथा एवं शिकायत का आंकलन एवं मार्गदर्शन।
- (2) किसी घरेलू समस्या के समाधान के लिए, जहां आवश्यक हो, उचित परामर्श, मार्गदर्शन व सलाह।
- (3) यह महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र संबंधित महिला के पारिवारिक जनों को बुलाकर बातचीत करने व उचित समाधान निकालने के लिए अधिकृत होंगे।
- (4) घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रसंग में उपयुक्त कार्यवाही हेतु व्यथित महिला को उचित मार्गदर्शन। ये महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत न्यायालयों, संरक्षण अधिकारियों एवं सेवा प्रदाता संस्थाओं की सूची रखेंगे और आवश्यकतानुसार व्यथित महिला एवं संदर्भित सेवा के बीच तालमेल का काम करेंगे।
- (5) यदि कोई महिला निराश्रित अथवा किन्हीं परिस्थितिवश अपना घर छोड़ने को विवश हो और उसके लिए तुरन्त आश्रय की आवश्यकता हो तो ऐसी महिला को अधिसूचित आश्रयगृह में अथवा किसी सुरक्षित स्थान पर रखने की व्यवस्था करेंगे।
- (6) पारिवारिक समस्याओं के समाधान हेतु उपाय करना। परंतु ऐसे उपाय व्यथित महिला को केन्द्र बिंदु मानते हुए और उसके हित को ध्यान में रखकर किए जाएंगे।
- (7) महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र का कार्य कंसवर्क तकनीक पर आधारित होगा।
- (8) यदि कोई महिला ऐसी स्थिति में आती है जिसमें तुरन्त चिकित्सीय सहायता की जरूरत हो तो उसकी चिकित्सा के लिए अधिसूचित चिकित्सा सुविधा (अस्पताल/डिस्पेन्सरी आदि) को संदर्भित किया जायेगा।
- (9) जहां महिला के साथ कोई ऐसा अत्याचार कारित किया गया है जिसमें कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता है तो उस प्रकरण में महिला को संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराने में सहयोग देना।
- (10) स्थानीय विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से व्यथित महिला को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाने में सहयोग देना।
- (11) किसी भी संस्था के द्वारा महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के संचालन हेतु अनुबंध संपादित करने के 6 माह के अंदर महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन सेवाप्रदाता के रूप में पंजीयन कराना आवश्यक व अनिवार्य होगा। ऐसा नही करने पर संस्था के साथ निष्पादित अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

(12) यदि महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र को ऐसी सूचना मिलती है कि किसी महिला पर किसी प्रकार का अत्याचार कारित हो रहा है तो महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के प्रतिनिधि संबंधित थाने के सहयोग से उक्त महिला के घर अथवा ऐसे स्थान पर जहां ऐसा अपराध/अत्याचार कारित हो रहा है, महिला को सुरक्षा प्रदान करने में सहयोग देंगे। इस कार्य में संबंधित संरक्षण अधिकारी का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है।

(13) यदि किसी महिला को तुरंत आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो तो जिला महिला सहायता समिति के माध्यम से उचित सहायता उपलब्ध कराना।

6 संस्था के चयन की प्रक्रिया

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के संचालन का उत्तरदायित्व किसी प्रतिष्ठित गैर-शासकीय संस्था को सौंपा जाएगा। संस्था के चयन के लिए निम्न प्रक्रिया होगी:-

(1) महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र संचालन हेतु उपयुक्त संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए आयुक्त/निदेशक, महिला अधिकारिता के द्वारा राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापित प्रकाशित की जाएगी।

(2) संस्थाओं द्वारा प्रस्ताव सदस्य सचिव, जिला महिला सहायता समिति (कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता) को प्रस्तुत किये जाएंगे।

(3) प्राप्त आवेदनों की समीक्षा निम्न प्रकार से गठित जिला महिला सहायता समिति द्वारा की जाएगी-

- | | |
|--|-------------|
| (i) जिला प्रमुख | - अध्यक्ष |
| (ii) जिला कलक्टर | - उपाध्यक्ष |
| (iii) जिला पुलिस अधीक्षक | - सदस्य |
| (iv) मुख्य न्यायिक-मजिस्ट्रेट/न्यायाधीश-पारिवारिक न्यायालय | - सदस्य |
| (v) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी | - सदस्य |
| (vi) उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग | - सदस्य |
| (vii) दो प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि | - सदस्य |
| (viii) दो कानूनी सलाहकार | - सदस्य |
| (ix) कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता | -सदस्य-सचिव |

• समीक्षा के निम्न आधार होंगे-

(i) संस्था इस योजना के अंतर्गत महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र संचालन की पात्रता रखती है

(ii) इस योजना की शर्तों एवं समय-समय पर जारी राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार संस्था महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र संचालन के योग्य हो

(iii) संस्था का महिला विकास और महिला सुरक्षा के क्षेत्र में यथेष्ट कार्यानुभव हो

(iv) संस्था की आर्थिक स्थिति अच्छी हो

(v) संस्था के पास महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र चलाने के लिए दो

प्रशिक्षित/अनुभवी/योग्य महिला कर्मचारी हों अथवा ऐसे महिला कर्मी नियुक्ति हेतु उपलब्ध हों और संस्था की ऐसे महिला कर्मियों को नियुक्ति देने की क्षमता हो, प्रथम परामर्शदाता का समाज शास्त्र/मनोविज्ञान/सामाजिक कार्य में आवश्यक रूप से स्नातकोत्तर एवं द्वितीय परामर्शदाता का विधि स्नातक होना अनिवार्य है।

- (vi) संस्था महिलाओं के हित में कार्य करने के योग्य हो।
- (vii) अन्य अर्हताएँ, जो विहित की जाए।
- (4) समीक्षा उपरान्त, जिला महिला सहायता समिति प्राप्त सभी प्रस्तावों की सूची बनाएगी और ऐसे सभी प्रस्ताव जिला महिला सहायता समिति की अभियुक्ति/अभिशंषा/सुझाव/टिप्पणी के साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से सचिव/आयुक्त/निदेशक, महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग को भिजवाएँ जाएंगे।
- (5) ऐसे प्राप्त सभी प्रस्तावों को बिन्दु 12 के अंतर्गत गठित स्टीयरिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- (6) महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र के संचालन हेतु प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में यदि जिला महिला सहायता समिति द्वारा आवेदन प्राप्त की अन्तिम तिथि से एक माह की अवधि में बैठक कर निर्णय नहीं लिया जाता है या पूर्व में कार्यरत संस्था के अवधि विस्तार बाबत टिप्पणी नहीं की जाती है, या उक्त अवधि में बैठक ही नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में कार्यक्रम अधिकारी अगले 7 दिवस में अपनी टिप्पणी सहित प्राप्त प्रस्ताव निदेशक, महिला अधिकारिता को भेजेंगे। ऐसे प्रकरणों में स्टीयरिंग कमेटी को निर्णय के लिये जिला महिला सहायता समिति की टिप्पणी की आवश्यकता नहीं होगी।
- (7) स्टीयरिंग कमेटी संस्थाओं की पात्रता, अनुभव, दक्षता एवं जिला महिला सहायता समिति की अनुशंषा आदि को ध्यान में रखते हुए प्राप्त आवेदनों में से उपयुक्त संस्था का चयन करेगी।
- (8) ऐसी चयनित संस्था जिले में उन शर्तों के अधीन महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र का संचालन करेगी जो विहित की जाएगी।
- (9) इस हेतु चयनित संस्था व राज्य सरकार के प्रतिनिधि करार पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। यह अनुबंध एक वर्ष के लिए मान्य होगा जिसे जिला महिला सहायता समिति की अभिशंषा के आधार पर दो वर्ष अधिकतम (एक-एक वर्ष) और बढ़ाया जा सकेगा। किसी भी चयनित संस्था की तीन वर्ष के पश्चात अवधि नहीं बढ़ायी जायेगी।
- (10) यदि कार्य की अवधि में चयनित संस्था के कार्य से जिला पुलिस अधीक्षक संतुष्ट नहीं है तो अनिवार्य रूप से जिला महिला सहायता समिति या जिला मजिस्ट्रेट की टिप्पणी के साथ ऐसी संस्था को हटाने के लिए विभाग को प्रस्ताव भेज सकेगा। विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
- (1) कोई भी संस्था जो राजस्थान संस्था अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,

1860 (1860 का 21) के अंतर्गत अथवा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12 AA में अथवा राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1959 का 42) ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत हो तथा राजस्थान राज्य में कार्यरत हो।

(2) संस्था का पंजीकरण तीन वर्ष से पूर्व का होना अपेक्षित है और इस अवधि में संस्था नियमित रूप से सामाजिक कार्यकलापों से जुड़ी होनी चाहिए।

(3) उन संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी जो महिला सुरक्षा एवं सहायता तथा महिला विकास एवं सशक्तीकरण के क्षेत्र में कार्यरत एवं अनुभवी हों।

8 थानों का चयन

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र जिला मुख्यालय पर चयनित थाने के परिसर से संचालित होंगे। इन केंद्रों के लिए भवन में उपयुक्त स्थान और सुविधाएं संबंधित थाने द्वारा प्रदान की जाएगी।

परंतु ये केन्द्र प्रत्येक ऐसी व्यथित महिला को जिसे मार्गदर्शन, परामर्श, सहायता की आवश्यकता है, सहायता प्रदान करेगे, चाहे वह महिला किसी भी थानाक्षेत्र की निवासी हो अथवा किसी भी अन्य थाने में उससे संबंधित प्रकरण दर्ज किया जाना अपेक्षित हो।

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के लिए थाने का चयन जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा-

1. महिला थाने को प्राथमिकता दी जायेगी।
2. थाने के परिसर में केन्द्र संचालन के लिए पर्याप्त स्थान और सुविधाएं उपलब्ध हो।
3. परिवादी/व्यथित महिला और उसके साथ आने वाले व्यक्तियों के बैठने आदि की उपयुक्त व्यवस्था और अन्य सुविधाएं (यथा पेयजल, शौचालय आदि) उपलब्ध हों।
4. ऐसी अन्य सुविधाएँ जो केन्द्र के सुगम संचालन के लिए आवश्यक हों।

9 अनुदान: सीमा एवं प्रक्रिया

प्रत्येक महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र को, माननीय मुख्यमंत्री महोदया की वर्ष 2014-15 की बजट घोषणा संख्या 166 की अनुपालना में सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये, इन गैर सरकारी संगठनों को दी जाने वाली सहायता राशि में कार्यभार के आधार पर वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप 'ए' श्रेणी के केन्द्रों को प्रतिवर्ष 3.15 लाख रुपये एवं 'बी' श्रेणी के केन्द्रों को 3.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष देय होंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त नवीन चयनित संस्था को अथवा आवश्यक परिस्थिति में सक्षम स्वीकृति उपरांत राशि रू. 30,000 अनावर्तक मद के रूप में एक बार कम्प्यूटर, प्रिंटर आदि क्रय करने के लिये दी जा सकेगी।

"ए" श्रेणी-

1. सभी संभाग मुख्यालयों पर संचालित केंद्र,
2. ऐसे केंद्र जिनमें प्रतिमाह प्राप्त परिवादों की संख्या 20 अ उससे अधिक हो,

"बी" श्रेणी-

1. शेष केंद्र बी श्रेणी में सम्मिलित किये जायेंगे।

इस राशि से संस्था प्रदत्त निर्देशों के आधार पर विभिन्न मदों पर व्यय करने के लिए अधिकृत होगी।

- (1) राज्य सरकार द्वारा अनुदान की राशि संस्था द्वारा प्रस्तावित/दी जा रही/अनुमोदित सेवाओं के आंकलन के आधार पर स्वीकृत की जायेगी।
 - (2) अनुदान की स्वीकृत राशि में परिवर्तन/संशोधन का अधिकार राज्य सरकार का रहेगा।
 - (3) प्रत्येक जिले में अनुदान की राशि संबंधित कार्यक्रम अधिकारी को संबंधित बजट मद में ऑनलाईन आवंटित की जायेगी। इस बजट मद से ही संस्था को अनुदान की राशि का भुगतान किया जायेगा।
 - (4) अनुदान की राशि दो किश्तों में देय होगी।
 - (i) प्रथम किश्त—अनुबंध के प्रारंभ में प्रथम वर्ष में अग्रिम के रूप में कुल देय अनुदान राशि का 75 प्रतिशत
 - (ii) द्वितीय किश्त—द्वितीय किश्त की राशि के रूप में शेष 25 प्रतिशत का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि अग्रिम राशि के रूप में दी गई 75 प्रतिशत राशि का पूरा लेखा व्यय विवरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।
- द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में अनुदान राशि का भुगतान उपरोक्त अनुपात के अनुसार ही गत वित्तीय वर्ष की चार्टर्ड एकाउंटेंट की ऑडिट रिपोर्ट एवं उपयोगिता और पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् किया जायेगा।
- (5) संस्था को अनुदान वास्तविक व्यय के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा।
 - (6) अनुदान का अनुमोदन/स्वीकृति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा जारी किया जायेगा।
 - (7) अनुदान की राशि का भुगतान कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता द्वारा अपनी वित्तीय शक्तियों के अनुसार किया जाएगा व आवश्यक होने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित चैक से किया जाएगा।

10 समन्वय एवं सहयोग

पुलिस विभाग से अपेक्षाएँ—

1. पुलिस विभाग प्रत्येक महिला थाने पर महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के लिए जगह एवं आवश्यक फर्नीचर आदि उपलब्ध करवाएगा।
2. पुलिस विभाग लैटरहेड व स्टेशनरी, कम्प्यूटर (उपलब्ध होने पर) तथा टाइप राइटर व टाइपिस्ट की सेवाएँ उपलब्ध करायेगा।
3. प्रत्येक केन्द्र पर एक महिला व एक पुरुष कांस्टेबल की सेवाएँ उपलब्ध कराई जायेगी।
4. आकस्मिक स्थिति में, विशेषकर किसी महिला पर कारित हिंसा की सूचना मिलने पर, घटनास्थल पर आने-जाने व अन्य आवश्यकता पड़ने पर सामाजिक कार्यकर्ताओं को वाहन अथवा दो पहिया वाहन व पुलिस सहयोग उपलब्ध करवाना। परंतु यदि किसी कारणवश वाहन सुविधा उपलब्ध न हो सके तो संस्था सार्वजनिक वाहन का उपयोग

करेगी, जिसका पुनर्भरण आकस्मिक सेवा मद से किया जा सकेगा।

5. केन्द्र पर कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ताओं को पहचान पत्र दिया जाना।
6. विभिन्न पुलिस थानों को निर्देश पत्र जारी करना, ताकि केन्द्र कर्मियों को आवश्यकतानुसार मदद मिल सके।
7. संचालक संस्थाओं के साथ नियमित बैठकों में केन्द्र के काम हेतु सुझाव रखना व उभरते मुद्दों पर चर्चा करना।

11 राज्य स्टीयरिंग कमेटी का गठन

इस योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर निम्न प्रकार से स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया जायेगा-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, मबावि अध्यक्ष
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, गृह अथवा उनके प्रतिनिधि सदस्य
3. महानिदेशक, पुलिस के प्रतिनिधि-2 सदस्य
4. आयुक्त/निदेशक, महिला अधिकारिता सदस्य-सचिव
5. गैर-शासकीय संस्थानों के प्रतिनिधि-4 (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत) सदस्य

- गैर शासकीय संस्थानों के प्रतिनिधियों से संबंधित संस्थान किसी महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र का संचालन नहीं कर सकेंगे अथवा ऐसे संस्थान जिनके द्वारा महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, उन्हें राज्य स्टीयरिंग कमेटी में शामिल नहीं किया जाएगा।

12 स्टीयरिंग कमेटी के उत्तरदायित्व एवं कार्य

राज्य स्तर पर गठित स्टीयरिंग कमेटी के निम्न दायित्व होंगे-

1. यह समिति राज्य स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी।
2. विभिन्न जिलों में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के संचालन के लिए गैर-शासकीय संस्थाओं का चयन करेगी।
3. महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र से प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा करेगी।
4. यह समिति जहाँ आवश्यकता होगी, कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए नीति-निर्देशक सिद्धांत तय करेगी।
5. संस्थाओं के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जांच करायेगी और उपयुक्त निर्णय लेगी। यदि संस्था कार्य करने में अक्षम पायी जाती है या किसी अन्य प्रकार से संस्था का आचरण उचित नहीं है तो ऐसी संस्था की महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र चलाए जाने की स्वीकृति निरस्त कर सकेगी।
6. इस कार्यक्रम के लिए वित्तीय मांग की समीक्षा करेगी और आवश्यक धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

13 प्रबोधन

इन केन्द्रों के कार्य का समन्वय एवं पर्यवेक्षण संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जायेगा। इन केन्द्रों के कार्य की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट संस्था द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त को प्रस्तुत की जायेगी जो संबंधित पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त के द्वारा अपनी टिप्पणी के साथ जिला महिला सहायता समिति को भेजी जायेगी। जिला महिला सहायता समिति समय-समय पर केन्द्र के कार्य का मूल्यांकन करेगी तथा जहाँ आवश्यकता

होगी मार्गदर्शन देगी। जिला महिला सहायता समिति अपनी त्रैमासिक रिपोर्ट में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र द्वारा निष्पादित कार्यों की भी समालोचना करेगी। यह रिपोर्ट आयुक्त/निदेशक, महिला अधिकारिता को नियमित रूप से भिजवाई जायेगी।

14 मासिक/त्रैमासिक/
वार्षिक प्रतिवेदन

प्रत्येक महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र की मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक रिपोर्ट कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता के द्वारा आयुक्त/निदेशक, महिला अधिकारिता, महानिदेशक पुलिस, जिला प्रमुख (अध्यक्ष, जिला महिला सहायता समिति) व संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेजी जायेगी।

आदेश से

(कुलदीप रांका)

(कुलदीप रांका)

शासन सचिव

महिला एवं बाल विकास विभाग

जयपुर, दिनांक 05/10/16

क्र.सं. प.16(1)(44)/निमअ/मसंप्र/MSSK/योजना/2010/पार्ट-1/
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

21993-22199

1. प्रमुख शासन सचिव, गृह।
2. प्रमुख शासन सचिव वित्त/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन सचिव, आयोजना विभाग।
5. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महो., महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
7. जिला प्रमुख, जिला परिषद समस्त।
8. जिला कलक्टर/जिला पुलिस, अधीक्षक समस्त।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
10. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग/कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता, समस्त।
11. निजी सहायक, निदेशक, महिला अधिकारिता, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

✓ 13. प्रोग्रामर, स.अ. के विकासीय वेबसाइट पर
अपडेट करवाने हेतु।

रूपी खोड़ा
(रूपी खोड़ा)

आयुक्त
महिला अधिकारिता